न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 49/2003

श्री रहमत तुल्ला खान बनाम विष्णु ओझा व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक 13.02.2020**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि प्रार्थी के पूर्वजो की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बडगांव तहसील व जिला अजमेर प्रार्थी के कब्जे काश्त व आधिपत्य में शांतिपूर्ण तरीके से चली आ रही है। जिसका खाता नम्बर नया 104 पुराना 110 के खसरा नम्बर 60 मि0 रकबा 00–9–10, खसरा नम्बर 60 मिन रकबा 03–10–10 खसरा नम्बर 113 रकबा 02–14–10 खसरा नम्बर 114 रकबा 02–05–00 कुल किता 4 रकबा 8–19–10 है। प्रार्थी ने दिनांक 30.3.2001 को अपने निजीकार्य से बाहर जाने के कारण प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का मुख्तयारनामा आम निष्पाद्वित किया था जिसको प्रार्थी ने दिनांक 26.3.2003 को निरस्त कर दिया था क्योकि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के आचरण पर सन्देह उत्पन्न हो गया था इस कारण मुख्तयारनामा आम निरस्त कर दिया गया था इसकी विधिवत सूचना अप्रार्थी संख्या 1 को दे दी गई थी। उक्त कृषि भूमि का कब्जा काश्त व आधिपत्य दिये गये मुख्तरनामा आम में नही दिया गया था व न ही प्रार्थी ने अप्रर्थी संख्या 2 व 3 को कोई कब्जा काश्त व आधिपत्य ही नहीं दिया था फिर भी प्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 ने दिनांक 25.6.2003 को मौके पर जाकर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को धमकी दी की हम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करेगे तथा प्रार्थी की मौके पर खडी रजके की फसल को खुर्द्द बुर्द्द करेगे इस कारण यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थायी निषेघाज्ञा हेतु प्रस्तुत है। उक्त कृषि भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जे काश्त व आधिपत्य की व रचके की फसल खडी है जिसमें वह अपने पशुओं का भरण पोषण कर रहा है जिससे की अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 का कोई लेना देना नही है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 असामाजिक तत्वों की मदद से कब्जा करने पर आमदा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जबरन कब्जे की धमकी देने के पश्चात प्रार्थी अपने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकले लेने गया तो पटवारी हल्का प्रार्थी को यह जानकारी दी की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अप्रार्थी संख्या 4 से मिलकर राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करने पर आमादा है जिसका कानूनन उनको कोई अधिवकार व हक नही है । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थी के कब्जे काश्त व आधिपत्य की कृषि भूमि में आधिपत्य में दखअन्दाजी नही करने व अप्रार्थी संख्या 4 को राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से मिलकर हेराफेरी कर परिवर्तन नही करने से अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने कब्जे काश्त व आधिपतय की कृषि भूमि से बेदखल हो जायेगा। जिसका मुद्रा में आंकलन नही किया जा सकता । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित है। अपार्थी संख्या 1 से 3 उनके नौकर चाकर, ऐजेन्ट अर्सानीज परिवारजन, मित्रगण, मुख्तयारआम, ठेकेदार, बेलदार, मजदूर, भाडके के असामाजिक तत्वों को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी की रजके की व अन्य फसल खडी है में अतिचार नही करे फसल को खुर्द्द बुर्द्द नही करे व प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त व आधिपत्य में किसी प्रकार की दखअन्दाजी नही करे। अप्रार्थी संख्या 4 को इस आश्य को अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की हेराफेरी नही करे व नही अपने अधिनस्थ कर्मचारीयो से किसी प्रकार का परिवर्तन करावे ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उनके अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन में

Scanned by CamScanner

उल्लेखित भूमि का खाता नम्बर , खसरा नम्बर, रकबा किस्म सही लिखि गई है जो प्रार्थी के खातेदारी में उसके द्वारा इकरार बशकल बेचान नामा दस्तावेज दिनांक 30.3.2001 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में बेचान कर कब्जा सम्भलाने की दिनांक 30.3.2001 के पूर्व तक खातेदारी में रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 केलाशचन्द गोयल के पक्ष में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का इकरारनामा बशक्ल बेचाननामा दस्तावेज चुकता प्रतिफल राशि पॉच लाख रूप्या प्राप्त कर निष्पाद्वित किया जो दिनांक 30.3.2001 को निष्पाद्वित कर कब्जा दखल सम्भला दिया, जिसे नोटेरी पब्लिक अजमेर ने सत्यापित किया है की उक्त दस्तावेज उनकी उपस्थिति में निष्पाद्वित किया गया है तथा इसी रोज अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी ने अपना मुख्तयार आम नियुक्त किया है तथा मुख्तयार आम दस्तावेज भी नोटैरी पब्लिक अजमेर की उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पाद्वित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पाद्वित मुख्यारनामा आम दस्तावेज जिससे की प्रार्थी ने अपना मुख्तयार आम अप्रार्थी संख्या 1 विष्णु ओझा को नियुक्त किया था ओर प्रार्थी ने अपने मुख्तयार आम अप्रार्थी संख्या 1 को मुखतयारआम निरस्त किये जाने की कोई सूचना नही दी ना ही अप्रार्थी संख्या 1 को लिखित में कोई सूचना प्रार्थी द्वारा मुखत्यारनामा आम निरस्त किये जाने की प्राप्त हुई ना ही प्रार्थी ने अपना मुख्त्यार आम विष्णु ओझा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पाद्वित मुख्त्यारनामा आम को निरस्त करने की कोई सूचना किसी भी स्थानिय समाचार पत्र में प्रकाशित नही करवाई जिसे की अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को इसकी जानकारी होती । वास्तविकता यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 30.3.2001 को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अपने खातेदारी की भूमि को बेचान कर इकरार दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पाद्वित कर मौके पर कब्जा सम्भला चुकता प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली ओर बिना किसी दूरसन्धि के सद्भाव से प्रार्थी की ओर से मुख्तयार आम के रूप में प्राप्त अधिकरो के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी की ओर से निष्पाद्वित कर‍राम बशक्ल बेचान नामा के पृष्ठ संख्या 2 की अन्तिम मद में लिखित कथनो के अनुसार विक्रय पत्र निष्पाद्वित करने के बाबत प्रार्थी ने पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रूबरू मिलवाकर बचनबद्व करवा दिये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने सदभाव से अपने दायित्वो को पूरा करते हुए अप्रार्थी 2 व 3 के पक्ष में बहेसियत मुख्तयार आम प्रार्थी रहमत तुल्ला की ओर से विक्रय पत्र उपपंजीयक अजमेर के समक्ष दिनांक 19.5.2003 को निष्पाद्वित कर दिया

Scanned by CamScanner

ताि प्रार्थी विकेता रहमत तुल्ला खन ने पूर्व में ही चुकता विकय प्रतिफल राशि पॉच लाख रूपया प्राप्त कर इकरार बशक्ल बेचान नामा दिनांक 30.3.2001 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पाद्वित किया ताि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 केतागण ने किसी भी प्रकार की कोई राशि प्रात नही की ना ही कोई भी अनुचित लाभ प्रार्थी के हितो के विपरीत बहेसियत मुख्तयार आम आज तक नही लिया है मौके पर कब्जा इकरार बशक्ल बेचान नामा दिनांक 30.3.2001 से लगातार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का सयुक्त रूप से चला आ रहा है जिससे जबरन कब्जा करना व खुर्द्द बुर्द्द करना प्रार्थी ·के सत्य कथनो को छिपा कर अप्रार्थीगण को बदनियत से नुकसान पहुॅचाने की कुचेष्ठा इस आधारहीन असत्य कथनों से परिपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निरस्त योग्य है । विवादित भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने खर्चे से काश्त करवाया है अकल में पशुओ की मदद के लिया निशुल्क काश्त कराया गया रचका सभी गांव व आराजी के आस पास के प्शुओ को चरने के लिऐ व्यवस्था की है जिसमें प्रार्थी के भूख से मर रहे पशु भी गांव के अन्य पशुओ के साथ आकर अगर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खरीशुद्वा कब्जे काश्त कि उक्त भूमि पर जीने के लिये चरते है तो इससे प्रार्थी का कब्जा विवादित भूमि पर कतई नही माना जा सकता है। विवादित भूमि की चूकता प्रतिफल राशि लेकर इकरार बशक्ल बेचान नामा दस्तावेज दिनांक 30.3.2001 निष्पाद्वित कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया तथा इसके समर्थन में प्रार्थी ने एक घोषणा पत्र भी अप्रार्थी केता के पक्ष में निष्पाद्वित किया और इसके साथ अपना मुख्तयार आम अप्रार्थी संख्या 1 को नियुक्त किया जिसके द्वारा विकय पत्र निष्पाद्वित कर पंजीबद्व करवाया गया और राजस्व न्याय नियमों व विधिक प्रावधानो के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार मय कब्जे के दिनांक 30.3.2001 को ही प्राप्त हो गए जबकि प्रार्थी ने चुकता प्रतिफल राशि लेकर अकरार बशक्ल बेचान नामा निष्पाद्वित किया ओर जिसके अनुसार प्रार्थी की ओर से नियुक्त मुख्तयार आम द्वारा विकय पत्र निष्पाद्वित कर उप पंजीयक अजमेर के समक्ष पंजीबद्व करवा दिये जाने से राजस्व रेकार्ड में खरीददार अप्रार्थीगण अना नाम खातेदार के रूप में प्रार्थी के स्थान पर दर्ज करवाने के लिए नामान्तकरण के लिये आवेदन किया है। प्रार्थी विकेता के द्वारा विकय प्रतिफल राशि लेकर अपने खातेदारी अधिकार विवादित भूमि के बाबत प्राप्त को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अन्तरण/हस्तान्तरण कर चुका है तो दावा दायरी के रोज प्रार्थी की विधिक हेसियत खातेदार की नही रही है और केता अप्रार्थीगण के

Scanned by CamScanner

नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का अनुचित लाभ प्राप्त नही कर सकता है ओर इसके अप्रार्थी संख्या 2 व 3 खरीदारान के अधिकारो पर कोई विपरित प्रभाव नही हडने से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोश की मद संख्या 1 व 2 में जिस प्रकार से चाहा है वह प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान किया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थीगण का असत्य गुमराह किये जाने वाले मिथ्या कथनो से परिपूर्ण अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र को मय खर्चे के निरस्त किया जाना विधि संगत है वास्तविक तथ्यों को छुपाकर असत्य कथनो के परिपूर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 दिनांक 27.6.2003 के समर्थन में प्रस्तुत झूठे शपथ पत्र के कारण प्रार्थी के विरूद्व अपराधिक कार्यवाही किये जाने के भी समुचित आदेश प्रदान किया जाना न्यास संगत है जिससे कि माननीय न्यायालय को प्रार्थी जेसे अन्य लोग माननीय न्यायालय को असत्य कथनो से गुमराह कर विधिक प्रावधानो के विपरीत गैर कानूनी आदेश प्राप्त करने के लिए दुष्कृत्य व कुप्रयास करने का दूसाहस कर न्यायालय का बहुमूल्य समय व पीडित पक्षकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी से पेशान कर उन्हे मानसिक, आर्थिक व शारिरिक पीडा सनताप तनाव ग्रस्त कर नुकसान पहुचाने में सफल ना हो सके तथा अप्रार्थीगण को भी प्रार्थी ने आधारहीन असत्य कथनो से परिपूर्ण वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भारी नुकसान कारित किया है जबकि प्रार्थी विधिक प्रावधानो के अनुसार विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार दावा दायरी के रोज प्राप्त नही रखने से विधिक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रावधानो के तहत प्रार्थना पत्र व वाद दायर करने को विधिक रूप से सक्षम नही होने से भी प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र व वाद निरस्त किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थन काश्तकारी 1956 को मय भारी खर्चे हर्जे के निरस्त किया जावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया । अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पंजिबद्व विक्रय पत्र दिनांक 19.5.2003 जिसका पंजियन 22.5.2003 को किया गया है के अनुसार प्रार्थी रहमततुल्ला खां के मुख्तयारआम आम विष्णु औझा द्वारा केलाशचन्द गोयल पुत्र हजारी लाल गोयल तथा महेशचन्द गोयल पुत्र ओमप्रकाश गोयल को विक्रय कर कब्जा व दखल देना प्रथम दृष्टया विवादित भूमि के सबंध में

Scanned by CamScanner

प्रमाणित होता है इस विकय पत्र को प्रार्थी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति देकर निरस्त करवाया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है विवादित भूमि वादी/प्रार्थी के मुख्त्यारआम द्वारा पंजिबद्व विकय पत्र से विकय कर दिये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रार्थी के विवादित भूमि में हक दखल हस्तान्तरित होकर केलाश चन्द व महेश चन्द में निहित हो गये । अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। यदि सदभाविक केता की ओर अस्थाई निषैघाज्ञा जारी होती है तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को होगी इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विशलेषण वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 13.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner